

राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक: EHC-1/2025/6500

दिनांक 22/08/2025

परिपत्र

राज्य सरकार वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.5(थ-75)डी.टी.ए./IFMS 3.0/11/2636 दिनांक 22/07/2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह अगस्त 2025 का वेतन भुगतान पी. आर.आई. पेमेनेजर के स्थान पर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस. 3.0) के अन्तर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से आई.एफ.एम.एस. 3.0 विकसित किया गया है, से किया जायेगा। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं निजी निक्षेप खातों से सम्बद्ध संस्थाओं जिसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है, के कार्मिकों के मास्टर डेटा का PRI Paymanager से Migration उपरांत आई.एफ.एम.एस. 3.0 में जांच वेरिफिकेशन व अपडेशन का कार्य किया जाना है।

अतः विश्वविद्यालय के पी.डी. खाते से पी.आर.आई. पेमेनेजर से वेतन आहरित करने वाले समस्त कार्मिकों/शिक्षकों व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे PRI पे-मेनेजर पर स्वयं की व्यक्तिगत विवरण (Personal Detail) में निम्न विवरण को जांच लें :-

(1) नाम	(6) पेन नम्बर
(2) पिता का नाम	(7) ग्रेड-पे/लेवल
(3) जन्म दिनांक	(8) मोबाईल नम्बर
(4) पदनाम	(9) बैंक का विवरण
(5) मूल वेतन	

उपर्युक्त विवरण में त्रुटि पाये जाने पर संस्थापन I/II से संबंधित विवरण का सत्यापन उनके स्तर से करवाकर लेखा एवं वित्त (प्रथम-वेतन अनुभाग) में दिनांक 25/08/2025 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें ताकि उक्त त्रुटि को संशोधित किया जा सकें। व्यक्तिगत विवरण (Personal Detail) जो PRI Paymanager पर उपलब्ध है, कि हार्डकॉपी लेखा एवं वित्त (प्रथम-वेतन अनुभाग) से भी अवलोकन/प्राप्त की जा सकती है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


कुलसचिव
(राजस्थान विश्वविद्यालय)

क्रमांक: EHC-1/2025/6501-50

दिनांक 22/8/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव कुलपति/ वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/वाणिज्य/विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक केन्द्रीय पुस्तकालय/गाँधी अध्ययन/शारीरिक शिक्षा अध्ययन/दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. मुख्य आवासाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित छात्रावास।
7. समस्त छात्रावास अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय-छात्रावास।
8. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।


अतिरिक्त कुलसचिव
(राजस्थान विश्वविद्यालय)